



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0

चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 152/XXXVI(3)/2010/14(1)/2010

देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2010” पर दिनांक 26 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2010

(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2010)

31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2010 है। संक्षिप्त नाम

उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2010-2011 के लिये रु0 154519464000 का दिया जाना

2-उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है, जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग रुपये 154519464000 (रुपये पन्द्रह हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौरानवे लाख चौसठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	201096	8735	209831
		पूँजी	5000	0	5000
02.	राज्यपाल	राजस्व	0	46945	46945
		पूँजी	0	0	0
03.	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	258854	0	258854
		पूँजी	0	0	0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	664524	284002	948526
		पूँजी	200000	0	200000
05.	निर्वाचन	राजस्व	96724	0	96724
		पूँजी	0	0	0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	3550345	14308	3564653
		पूँजी	375002	0	375002
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	18185883	17159305	35345188
		पूँजी	553189	12996300	13549489
08.	आबकारी	राजस्व	97457	0	97457
		पूँजी	1	0	1
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	66886	66886
		पूँजी	0	10000	10000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	5466869	0	5466869
		पूँजी	201502	0	201502
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	28643404	2	28643406
		पूँजी	476309	0	476309
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	6880743	0	6880743
		पूँजी	1106676	0	1106676
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	7481061	0	7481061
		पूँजी	0	0	0

1	2	3			
14.	सूचना	राजस्व	203140	0	203140
		पूँजी	5000	0	5000
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	3757731	0	3757731
		पूँजी	59006	0	59006
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	523269	0	523269
		पूँजी	11500	0	11500
17.	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व	3706452	0	3706452
		पूँजी	13500	0	13500
18.	सहकारिता	राजस्व	295691	0	295691
		पूँजी	85020	0	85020
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	4333994	0	4333994
		पूँजी	639000	0	639000
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	2745503	2	2745505
		पूँजी	4183839	0	4183839
21.	ऊर्जा	राजस्व	84235	0	84235
		पूँजी	3856504	0	3856504
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	3561714	39749	3601463
		पूँजी	5589001	0	5589001
23.	उद्योग	राजस्व	460956	0	460956
		पूँजी	128055	0	128055
24.	परिवहन	राजस्व	210880	0	210880
		पूँजी	329005	0	329005
25.	स्वाद्य	राजस्व	289783	0	289783
		पूँजी	15001	0	15001
26.	पर्यटन	राजस्व	195945	2	195947
		पूँजी	654431	0	654431
27.	वन	राजस्व	2922169	0	2922169
		पूँजी	120002	0	120002
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	986303	0	986303
		पूँजी	94737	0	94737
29.	औद्योगिक विकास	राजस्व	821142	3944	825086
		पूँजी	0	0	0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	4480143	0	4480143
		पूँजी	2109507	0	2109507
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	1236964	0	1236964
		पूँजी	735523	0	735523
योग :		राजस्व	102342974	17623880	119966854
		पूँजी	21546310	13006300	34552610
महायोग :			123889284	30630180	154519464

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।